न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी— रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
73 / 2024 / प्रा.पत्र / 2024	16.10.2024	10.12.2024

सत्यनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री राकेश जैन पुत्र श्री शान्तिलाल जैन निवासी सीतापुरा चौराहा आंवा तह. दूनी जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स राकेश किराणा स्टोर सीतापुरा चौराहा आंवा तह. दूनी जिला टोंक। पिनकोड—304802 मोबाईल नं. 9784166134

2—मैसर्स राकेश किराणा स्टोर सीतापुरा चौराहा आंवा तह. दूनी जिला टोंक। पिनकोड—304802

.......अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (V) एवं दण्डनीय धारा 51व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थी श्री राकेश जैन स्वयं उपस्थित।

:—निर्णय—: दिनांक 10/12/24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 01.07.2024 को समय 03:30 पी.एम.पर मैसर्स राकेश किराणा स्टोर सीतापरुा चौराहा आंवा तह. दूनी जिला टोंक पर पहुंचा। वहां खाद्य कारोबारकर्ता एवं विकता के हैसियत से राकेश जैन पुत्र श्री शान्तिलाल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स राकेश किराणा स्टोर सीतापरुा चौराहा आंवा तह. दूनी जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री राकेश जैन पुत्र श्री शान्तिलाल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राकेश जैन पुत्र श्री शान्तिलाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र ऑनलाईन आवेदन करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ—साथ दुकान में 1—1 लीटर पैक के 10 नग मूल पैक एवं 500—500 एमएल पैक के 25 नग पैक्ड अवस्था में **घी(कृष्णा ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री राकेश जैन पुत्र श्री शान्तिलाल जैन को

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री राकेश जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **घी(कृष्णा ब्राण्ड)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान में 1–1 लीटर पैक के 10 नग मूल पैक एवं 500–500 एमएल पैक के 25 नग मूल पैक पैक्ड अवस्था में **घी(कृष्णा ब्राण्ड)** के बेंच नं0 177 एवं पैंकिग की दिनांक जून,.2024 थी, को ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 500–500 एम.एल. पैक के 4 मूल वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (कृष्णा ब्राण्ड) के** 500–500 एम.एल. के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4126 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4126 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री राकेश जैन पुत्र श्री शान्तिलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स राकेश किराणा स्टोर सीतापुरा चौराहा आंवा तह. दूनी जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नही किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/865 दिनांक 18.07.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/2819/एक्ट/2024/2623 दिनांक 05.07.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **घी(कृष्णा ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(i)(zx) **अवमानक (Sub-Standard)** व रेगुलेशन नं0 2.3.7(2) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री राकेश जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। उक्त घी में किसी प्रकार से बाहय पदार्थ नहीं मिलाया गया है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे, उसमें Foreign Fat उपस्थित मिला है। वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** एवं **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58(सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी(कृष्णा ब्राण्ड)**का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** एवं **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/12/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक